श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: सभापति महोदय, यह प्रश्न गत सत्र में भी आया था। उस समय डा. मुरली मनोहर जोशी ने बताया था कि हम इसके बारे में सोचने जा रहे हैं लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है मैं कालेजों में इस स्कीम के इंस्पैक्शन के तहत जाया करती हूं। यह जो कैरियर ऐडवांसमेंट स्कीम है, उसमें जिसका कैरियर ऐडवांस देखा जाता है, उसको सीनियर ग्रेड लैक्चरार का ग्रेड दे दिया जाता है। रीडर नाम का कोई पदनाम वहां पर नहीं है। पैसा उसे रीडर के बराबर ही मिलता है, आर्थिक बढ़ोत्तरी रीडर के बराबर होती है लेकिन यह पदनाम उसे नहीं दिया जाता अभी हमारे सांसद ने बताया कि लोग तब भी उसे पदनाम का व्यवहार करते हैं। अगर यू.जी.सी. से यह पदनाम दे दिया जाए, पैसा तो दे ही रहे हैं, रीडर और रीडर के बाद प्रोफेसर तो लोगों को कैरियर ऐडवांसमेंट में सुविधा होगी और वे सचमुच अपना कैरियर ऐडवांस करने के लिए कुछ करेंगे। क्या इस संबंध में आप कुछ विचार करे रहे हैं?

श्री बची सिंह रावत: महोदय, जैसा अभी बताया गया कि पिछले सत्र में भी डॉक्टर जोशी ने आश्वस्त किया है कि इस बारे में विचार होगा। वेतन के समकक्ष यदि उनका पदनाम है और वह पदनाम यदि दिया जा सकता है तो उस संबंध में सरकार गंभीरता से विचार कर सकती है।

श्री टी.एन. चतुर्वेदी: दिया ही नहीं जा सकता बल्कि पहले आपने दिया था।...(व्यवधान) नयी स्कीम से बदल दिया है।...(व्यवधान)...

श्रीमती कुमकुम राय: महोदय, इस कैरियर ऐडवांसमेंट स्कीम के संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या मेरिट प्रमोशन के साथ टाइम बाउंड प्रमोशन, इन दोनों को सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया गया है या यह राज्य की इच्छा पर ही छोड़ दिया गया है कि वह मैरिट प्रमोशन ही लागू करे या टाइम बाउंड प्रमोशन लागू करे अथवा न करे?

श्री बची सिंह रावत: जो गाइडलाइंस जारी की गयी हैं, उनमें पूरे देश के लिए समान रूप से गाइडलाइंस जारी की गयी है।

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Illegal import of genetically engineered foods

*461. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the situation arising out of entering of Genetically Engineered (GE) foods illegally into the country, if so, what

steps have been taken to stop these to flood the markets; and

(b) the number of such products confiscated and the persons involved, arrested?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) The Government of India have not yet accorded approval for import, export commercial production, storage, handling and marketing of any Genetically Engineered Food in the country. As per the Environment (Protection) Act, 1986 and Rules 1989, it is mandatory that all such products obtain the approval of Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) of the Ministry of Environment and Forests from bio-safety (environmental and food safety) angle for use and sale in the country.

Further, action has been taken by the Ministry of Environment and Forests to enlarge the scope of Rule 11 of Environment (Protection) Rules 1989 for obtaining a mandatory declaration as to whether the commodity being imported is Genetically Modified/Engineered or not.

Any violation of the Environment (Protection) Act and Rules is prosecutable. So far, no such consignment has been confiscated nor any one prosecuted or arrested.

Promotion of agriculture on contract basis

†*466. SHRI RAJIV RANJAN SINGH "LALAN":
SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the practice of promotion of agriculture on contract basis has begun under the new agricultural policy;

(b) whether it is also a fact that many multinational companies have started cultivation on contract basis in various regions of the country; and

(c) if so, which are those multinational companies and in which States cultivation has been started by them in the first phase and the area of land being cultivated in each State?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) No specific programme for promotion of agriculture on contract basis has been initiated under the National Agriculture Policy announced in July, 2000.

†Original notice of the question was received in Hindi.